

03/07/2024 परावली पंचायत वकील जयलक्ष्मी उपाध्याय /
 डिग्री 19/10/20 को वकील जयलक्ष्मी उपाध्याय
 की तालिका हेतु रिक-सीड नोटिस तलवाना
 प्रस्तुत करने हेतु दायर किया गया था
 परन्तु वकील जयलक्ष्मी द्वारा दायर डिग्री तब
 नोटिस तलवाना प्रस्तुत नहीं किया गया है
 प्रकरण में तहसीलदार राजसिंहनगर द्वारा रिक-सीड
 रिपोर्ट क्रमांक/राजसिंह/2024/1435 डिग्री 18.10.2024
 में अनुसूचित जाति को एक 1MSD तहसील विनम्रकार
 के क्षेत्र में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है।
 स्वीछा रास्ता जयलक्ष्मी को उपलब्ध है। चूंकि रिपोर्ट
 तहसीलदार राजसिंहनगर अनुसूचित जाति को
 डायरी क्रमांक में पंहुच हेतु वैकल्पिक मार्ग
 उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में प्रत्येक पत्र प्रस्तुत
 कर नये मार्ग की मात्र सुझाव हेतु भोग करना
 वैकल्पिक नहीं है अतः प्रत्येक पत्र वकील जयलक्ष्मी
 द्वारा न्यायालय दायरी की पालना में रिक-सीड
 नोटिस प्रस्तुत नहीं करने तथा रिपोर्ट तहसीलदार
 राजसिंहनगर के आधार पर विचार प्रयोग
 प्रतीत नहीं होता है।

लिखित जायना पत्र जयलक्ष्मी उपाध्याय
 द्वारा प्राप्त किया जाता है। परावली
 केसल में सुझाव दीकर दायर कर 1/15/24

उपखण्ड अधिकारी
 राजसिंहनगर